REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003-05

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003-05



प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 2]	नई दिल्ली, जनवरी 6—जनवरी 12, 2019, शनिवार∕ पौष 16—पौष 22, 1940	
No. 2]	NEW DELHI, JANUARY 6—JANUARY 12, 2019, SATURDAY/PAUSA 16— PAUSHA 22, 1940	

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2019

सा.का.नि.10.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय (स्टाफ कार चालक श्रेणी I, श्रेणी II और सामान्य श्रेणी) भर्ती नियम, 2007 को, जहां तक उनका संबंध स्टाफ कार चालक विशेष श्रेणी से है, उन वातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, गृह मंत्रालय में स्टाफ कार चालक (विशेष श्रेणी) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातु:---

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**.—(1)इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय स्टाफ कार चालक (विशेष श्रेणी) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-मीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य वातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

7754 GI/2018

4. निरईता.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

[PART II-SEC. 3(i)]

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुजेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छुट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की वाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-मीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैटिक्स में स्तर
(1) स्टाफ कार चालक	(2)	(3)	(4)
(विशेष श्रेणी)	2* (2019)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित,	वेतन मैट्रिक्स (35400-112400 रुपा) में स्वर 6
	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन	अननुसचिवीय	
	किया जा सकता है		

-	<u> </u>	
- 24	नयना	
	111 41	

चयन पद है अथवा अचयन	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए	मीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित
पद	आय्-सीमा	शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
अचयन	लागू नहीं होता	लागु नहीं होता
		लागू नहा होता

मीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की यदि कोई हो	अवधि,	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)		<u>(10)</u>
लागु नहीं होता	दो वर्ष		(10)

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्नी की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

प्रोन्नतिः-

वेतन मैट्रिक्स 29200-92300 रुपए में स्तर-5 में ऐसे स्टाफ कार चालक जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपनी ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि मफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(11)

56

	यदि विभागीय प्रोन्नति ममिति है, तो उसकी संरचना		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक
			सेवा आयोग से परामर्श किया
L			जाएगा
	(12)		(13)
समूह 'ख	' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबध में विचार करने के लिए)	जिसमें निम्नलिखित	आवश्यक नहीं है ।
होंगे :—	"		
1.	संयुक्त सचिव (प्रशासन), गृह मंत्रालय -ः	अध्यक्ष	
2.	उप सचिव/निदेशक (प्रशासन), गृह मंत्रालय 🛛 🗕	सदस्य	
3.	उप सचिव/निदेशक (ई.), गृह मंत्रालय	मदम्य	
समूह 'ख'	' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबध में विचार करने के लिए) जिसमें नि	म्नलिखित होंगे :—	
1.	संयुक्त सचिव (प्रशासन), गृह मंत्रालय -ः	अध्यक्ष	
2.	उप सचिव/निदेशक (प्रशासन), गृह मंत्रालय	सदस्य	
3.	उप सचिव/निदेशक (ई.), गृह मंत्रालय	मदस्य	

[[]फा. मं. ए-42012/38/2015-प्रशा-II]

पी. एम. डंगवाल, अवर मचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 8th January, 2019

G.S.R. 10.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Home Affairs (Staff Car Drivers, Special Grade, Grade I, Grade II and Ordinary Grade) Recruitment Rules, 2007, in so far as they relate to the post of Staff Car Driver Special Grade, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Staff Car Driver (Special Grade) in the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs Staff Car Driver (Special Grade) Group 'B' post Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, level in the pay matrix.—The number of post, its classification, level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in the columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds, for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 12, 2019/PAUSA 22, 1940

	SCHEDULE	
Name of post (1)	Number of post (2)	Classification (3)
Staff Car Driver (Special Grade)	2* (2019)	General Central Service, Group 'B',
	*Subject to variation dependent on work load	Non-Gazetted. Non-Ministerial

Level in the pay matrix	NV/hothon		
	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits	qualifications required for
(4)	(5)	(6)	direct recruits
Level 6 in the pay matrix Rs.35400-112400	Non- selection	Not applicable	(/) Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	e producin, ir uny	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be fulled breacher by the second seco
(8)	(9)	filled by various methods (10)
Not applicable	Two years	By promotion

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made
(11)

Promotion:

Staff Car driver Grade I in level 5 in the pay matrix Rs.29200 – 92300 with three years' regular service in the grade.

Note : Where juniors who have completed their qualifying, or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its co	omposition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)		(13)
1. Group 'B' Departmental Promotion Committee promotion) consisting of:-	Not necessary.	
 Joint Secretary (Administration), Ministry of Home Affairs Deputy Secretary/ Director (Administration), Ministry of Home Affairs Deputy Secretary/ Director(E), Ministry of Home Affairs 	– Chairman – Member – Member	

2. Group 'B' Departmental Confirmation Commic confirmation) consisting of:-	ittee (for considering
(1) Joint Secretary (Administration),	
Ministry of Home Affairs	– Chairman
(2) Deputy Secretary/ Director (Administration),	
Ministry of Home Affairs	-Member
(3) Deputy Secretary/ Director(E),	
Ministry of Home Affairs	– Member

[F. No.A-42012/38/2015-Ad.II] P. S. DANGWAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2019

सा.का.नि. 11.—राप्ट्रपति, मंविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय की अकानूनी विभागीय कैंटीन में समुह 'ख' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातु:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, अकानूनी विभागीय कैंटीन (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

 पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—**उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-मीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य वातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

- 4. **निरर्हता:-** वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या
 - (ख) जिमने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किमी व्यक्ति मे विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या ममीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखवद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपवंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई वात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

				n.
ਗ	н	Н	d	Т
		γ,		

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण
(1)	· (2)	(3)
प्रवंधक श्रेणी - II	01* (एक) (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	माधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय